



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 10.03.2025

1. थाना बिसरख पुलिस द्वारा एक चैन स्नैचर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे एक पीली धातु की चैन का टूटा हुआ टुकड़ा, 5000 रुपये नकद व अवैध शस्त्र बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- थाना बिसरख पुलिस द्वारा दिनांक 10.03.2025 को गोपनीय सूचना के आधार पर अभियुक्त संजय उपाध्याय पुत्र वीर प्रताप उपाध्याय को गोल्डन ग्राण्ड की निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास से गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से लूट/स्नैच की गयी पीली धातु की चैन का टुकड़ा व स्नैच की गई चैन की बिक्री से प्राप्त 5000 रुपये नकद व एक तंमचा .315 बोर मय 03 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

संजय उपाध्याय पुत्र वीर प्रताप उपाध्याय निवासी ग्राम हाजीपुर थाना सम्मनपुर जिला अम्बेडकर नगर हाल पता गली नं0-13 शालीमार पैलेस बुराडी दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 104/2016 धारा 379 भादवि थाना जैतपुर जिला अम्बेडकर नगर ।
2. मु0अ0सं0 694/2016 धारा 2/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना सराय ख्वाजा जिला जौनपुर
3. मु0अ0सं0 296/2016 धारा 387/507 भादवि थाना जलालपुर जिला अम्बेडकर नगर
4. मु0अ0सं0 297/2016 धारा 387/507 भादवि थाना जलालपुर जिला अम्बेडकर नगर
5. मु0अ0सं0 121/2019 धारा 147/286/323/325/332/336/34/342/353/477/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जिला अयोध्या
6. मु0अ0सं0 310/2016 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना पूराकलन्दर जिला अयोध्या।
7. मु0अ0सं0 311/2016 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना पूराकलन्दर जिला अयोध्या।
8. मु0अ0सं0 312/2016 धारा 41/411 भादवि थाना पूराकलन्दर जिला अयोध्या।
9. मु0अ0सं0 187/2020 धारा 147/308/323/325/332/34/353 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना सिविल लाइन जिला इटावा
10. मु0अ0सं0 30/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सराय ख्वाजा जिला जौनपुर ।

11. मु0अ0सं0 261/2016 धारा 379/41/411/414 भादवि ख्वाजा जिला जौनपुर ।

12. मु0अ0सं0 170/2025 धारा 317(5)बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी की विवरण--

1. एक चैन का टुकडा पीली धातु
2. 5000 रूपये चैन की बिक्री से प्राप्त ,
3. एक तंमचा .315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर

2. थाना फेस-3 पुलिस द्वारा चोरी की मोटर साइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 10.03.2025 को थाना फेस-3 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये चोरी की मोटर साइकिल के साथ अभियुक्त राहुल पुत्र भीकम सिंह को सेक्टर 71 डंपिंग ग्राउन्ड के पास सर्विस रोड से गिरफ्तार किया गया है। बरामद मोटर साइकिल के सम्बन्ध में थाना फेस-3 पर मु0अ0सं0 422/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है।

अभियुक्त का विवरण--

राहुल पुत्र भीकम सिंह निवासी नंगला बीच थाना नारकी जिला फिरोजाबाद हाल पता गढी चौखण्डी थाना फेस-3 जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 422/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना फेस-3 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

मोटर साइकिल स्पलैंडर रजि0 नम्बर डीएल 3 एसईके 2780